Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	a730eb29b762d98ba519
Receipt Date :	01-Mar-2024 12:28:47 pm
Receipt Amount :	50/-
Amount In Words :	Fifty Rupees Only
Document Type :	Agreement or Memorandum of an Agreement
District Name :	Giridih
Stamp Duty Paid By :	SRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED
Purpose of stamp duty paid :	AGREEMENT
First Party Name :	GHANSHYAM MAHTO
Second Party Name :	SRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED
GRN Number :	2400947593

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुन: प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

<u>यह दस्तावेज एग्रीमेंट दिनांक 16 मार्च सन् 2024 को निष्पादित किया गया।</u>

<u>लेख्यकारीगण का नाम वो पता :–</u>

1. श्री घनश्याम महतो पिता स्व0 केशो महतो, आधार न0 **XXXX XXXX 5664** पेन न0 **EYDPM1213C**
2. श्री पुरन महतो पिता श्री जगदीश महतो, आधार न0 **XXXX XXXX 5790** पेन न0 **EXPPM7316K**
3. श्री नीमा महतो पिता श्री डेगन महतो, आधार न0 **XXXX XXXX 3383** पेन न0 **DLYPM3029R**

सभी श्रेणी ओ. बी. सी., पेशा गृहस्थी, निवास स्थान करमाटांड पोस्ट गादी सिरसिया, थाना गाण्डेय अवर निबंधन कार्यालय वो सदर जिला गिरिडीह भारतीय नागरिक। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

<u>लेख्यधारी का नाम वो पता</u> :– **SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED** जो कम्पनी एक्ट 1956 के अधिन है जिसका रजिस्ट्रड ऑफिस **Unit No 413 Trimurty's Prime Tower'' Jhotwara Industrial Area, Jaipur 302012 (Rajesthan)** पेन न0 **AADCB4480B** के द्वारा डायरेक्टर श्री अरूण कुमार पिता स्व0 राम लखन राय, श्रेणी सामान्य पेशा व्यापार, निवास स्थान डीटी 2143, सेक्टर 9 धुर्वा, रॉची, झारखण्ड 834004 भारतीय नागरिक। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते है। आधार न0 **XXXX XXXX 8161**

<u>लेख्य प्रकार</u> :– दस्तावेज एग्रीमेंट ब्यानानामा।

<u>एग्रीमेंट सम्पति का कीमत</u> :– मोवलग 27,72,000/सताईस लाख बहतर हजार रूपया मात्र।

<u>ब्याना रकम</u> :– मो0 10,00,000/दस लाख रूपये मात्र।

<u>एग्रीमेंट सम्पति का पूर्ण विवरण</u> :– मवाजी 5 ए0 04 डीसमिल (पांच एकड चार डीसमिल) जमीन टांड वास्ते क्षति पूर्ति वन रोपन हेतू, हकियत रैयती कायमी दखली खतियानी बवाके मौजा करमाटांड, गादी गाण्डेय थाना गाण्डेय, परगना खरगडीहा, अवर निबंधन कार्यालय वो सदर जिला गिरिडीह अन्दर खाता न0 1 (एक) खेवट न0 2 तौजी न0 39 थाना न0 423 हल्का न0 04 वाके है।

उपरोक्त जायदाद हासिल खाता न0 1 जिसका खतियान नाम से सर्वे में कारू महतो वो तुलो महतो वो मोहर महतो पेशरान गंभीर महतो दो हिस्सा बहिस्सा बराबर वो अनुप महतो वल्द भखी महतो वो चुटर महतो वल्द जीतू महतो 2 हिस्सा वो रती महतो वल्द खुशो महतो 1 हिस्सा कौम ग्वाला के दर्ज पाया है जिसपर कारू महतो वगैरह उपरोक्त सम्पत्ति पर कायम काबिज दखलकार चले आये, वो अपने नाम से दाखिल खारिज करवा रसीदाद साल ब साल हासिल करते चले आये जो अंचल पंजी 02 के भोलुम न0 1 के पेज न0 7 में कारू महतो वगैरह का नाम दर्ज है जिसका सरकारी मालगुजारी

रसीद ऑनलाईन निर्गत होता चला आ रहा है जिसका रसीद क्रमांक सं0 0588667158 वर्ष 2023–24 है एवं बिक्री सम्पत्ति का भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (एल. पी. सी.) कारू महतो वगैरह के नाम से प्राप्त है जिसका सि0 न0 04 दिनांक 17.02.2024 है।

यह कि, कुछ समय उपरांत कारू महतो अपने पिछे तीन पुत्रों को छोड़कर स्वर्गवास किये एक टिपन महतो दुसरा प्रसादी महतो वो तीसरा लिलो महतो बाद स्वर्गवास कर जाने कारू महतो के बाद उनके तीनों पुत्र उपरोक्त सम्पत्ति पर कायम काबिज दखलकार रहे, बाद तीनों भाईयों में आपसी घरैया बटवारा हुवा बंटवारा के मुताबिक अपने अपने हक हिस्सों की जमीन पर कायम काबिज दखलकार रहे। बाद लिलो महतो अपने पीछे तीन पुत्रों को छोडकर स्वर्गवास किये एक केशो महतो दुसरा थम्मी महतो तीसरा नथू महतो, बाद ये तीनों भाईयों में आपसी घरैया बंटवारा हुआ बंटवारा के मुताबिक सभी हिस्सेदार अपने अपने हक हिस्से की जमीन पर कायम काबिज दखलकार रहे, बाद केशो महतो अपने पीछे एक पुत्र घनश्याम महतो खास लेख्यकारी न0 1 को छोडकर स्वर्गवास किये वो थम्भी महतो अपने पीछे एक पुत्र जगदीश महतो को छोड़कर स्वर्गवास किये जो वर्तमान में जगदीश महतो अभी जीवित हैं अस्वस्थ रहने के चलते, जिनका एक पुत्र पुरन महतो लेख्यकारी न0 2 हैं अपने पिता जगदीश महतो के सहमती से एवं राय वो सलाह से पुरन महतो उक्त दस्तावेज में बिक्रेता बने हैं।

यह कि, नथू महतो अपने पीछे एक पुत्र डेगन महतो को छोडकर स्वर्गवास किये, जो डेगन महतो वर्तमान में जीवित हैं अस्वस्थ रहने के चलते, उनके एक मात्र पुत्र नीमा महतो को अपने पिता के राय व सलाह से दस्तावेज में बिक्रेता न0 3 बनाया गया है। बाद ये सभी लेख्यकारीगण में एवं अन्य हिस्सेदारों में आपसी घरैया बटवारा हुवा बटवारा के मुताबिक अपने अपने हक हिस्से की जमीन पर शांति पूर्वक कायम काबिज दखलकार चले आ रहे हैं बिक्री वाला प्लौट खास लेख्यकारीगण के दखल कब्जा वो हिस्सा तख्ता में पडा है जो आज तारीख में लेख्यकारीगण तफसील खाता प्लौट रकवा चौहदी जमीन साथ लेख्यधारी के ब्यानानामा एग्रीमेंट करते हैं।

पुरन महतो नीमा महतो घनश्याम महतो

तफसील जमीन जो एग्रीमेंट होता है।

मौजा करमाटांड थाना गाण्डेय थाना न0 423 प्रगना खरगडीहा, अंचल गाण्डेय, हल्का न0 04 जिला गिरिडीह।

खाता न0	प्लौट न0	नामजमीन	रकवा	बिक्री रकवा
1 एक	152 एक सौ बावन	टांड	108 डी0	108 डी0
चौहदी	उ0–प्लौट न0 153	द0–प्लौट न0 151	पू0–रास्ता	प0–प्लौट न0 149
1 एक	153 एक सौ तिरपन	,,	93 डी0	93 डी0
चौहदी	उ0–प्लौट न0 149	द0–प्लौट न0 152	पू0–रास्ता	प0–प्लौट न0 149
1 एक	148 एक सौ अड़तालीस	,,	24 डी0	18 डी0
चौहदी	उ0–प्लौट न0 146	द0–प्लौट न0 147	पू0–प्लौट न0 149	प0–प्लौट न0 147
1 एक	149 एक सौ उनचास	,,	3 ए0 14 डी0	285 डी0
चौहदी	उ0–प्लौट न0 154	द0–प्लौट न0 150	पू0–प्लौट न0 153 व 152	प0–प्लौट न0 148

कुल खाता 01 कुल प्लौट 04 एग्रीमेंट रकवा 504 डीसमिल जमीन

यह एग्रीमेंट ब्यानानामा निम्नलिखित शर्तों का साक्षी है :–

यह कि, लेख्यकारी जिनकी पुरी तरीफ उपर में दर्ज है एकरार हसब जैल करते है वो लिख देते हैं कि लेख्यकारी को रूपये कि सख्त जरूरत वास्ते काम खर्च जरूरी का दर पेश है इसलिए लेख्यकारी ने अपने अंपने राजी खुशी से मोवलग 27,72,000/रूपये में मवाजी 504 डीसमिल जमीन जो हरदेन वारदेन से पाक वो साफ है साथ लेख्यधारीगण के बिक्री करने का बात चीत किया वो लेख्यधारी भी उक्त कीमत में उक्त जमीन खरिदने के लिए तैयार हुवे एवं उक्त जमीन का ब्याना रकम मोवलग 10,00,000/रूपये जिसमें लेख्यकारी ने लेख्यधारी से पाये और एकरार किये।

यह कि, अन्दर मियाद के लेख्यधारी बकीया कीमत जब वो जिस दिन लेख्यकारी को दे देते हैं उस वक्त लेख्यकारी जमीन बनाम लेख्यधारी के नाम से या इनके द्वारा मनोनित व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री केवाला तामिल कर देगें, इसमें लेख्यकारी किसी भी तरह का आना कानी टाल बटाल हिल्ला हुज इन्कार नहीं करेगें यदि करेगें तो लेख्यधारी द्वारा यह हक वो अधिकार होगा कि, लेख्यकारी पर न्यायालय द्वारा कानुनी कार्यवाई करके जबरिया रजिस्ट्री करा लेगें इसमें जिस भी प्रकार खर्च होगा बकाया रकम से मिनाह किया जायेगा।

यह कि, लेख्यकारी यह करार करते हैं कि उपरोक्त जमीन पर किसी तरह का वाद विवाद या कानुनी नुक्स नहीं है एवं ऋण भार से मुक्त है।

यह कि, लेख्यकारीगण यह करार करते हैं कि वन प्रमंडल द्वारा उक्त जायदाद का आनापत्ती प्रमाण पत्र/उपयोगतत् प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् लेख्यधारी एक सप्ताह के अन्दर लेख्यकारीगण से बनाम लेख्यधारी के पक्ष में निबंधन कर देगें इसमें लेख्यधारी निबंधन लेने में किसी प्रकार का आना कानी टाल मटोल नहीं करेंगें।

यह कि, वन प्रमंडल द्वारा उक्त जायदाद का आनापत्ती प्रमाण पत्र/उपयोगतत् प्रमाण पत्र सभी लेख्यकारीगण व सहियोग कर्ता उपलब्ध करेंगे इसमें जो भी खर्च होगा व लेख्यधारी द्वारा किया जायेगा।

यह कि, लेख्यकारी यह भी करार करते है कि उक्त सम्पति का निबंधन हेतू पूर्ण कागजात उपलब्ध जब तक नहीं हो जाता है तब तक यह एग्रीमेंट का समय बरकरार रहेगा तथा कोई कारण बस अन्दर मैयाद तक निबंधन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिती में यह एग्रीमेंट समय बढा माना जायेगा।

यह कि, अन्दर मैयाद तक लेख्यधारीगण उक्त जायदाद पर नापी जोखी एवं सिमांकन वो चाहदिवारी देने के लिए स्वतंत्र हैं इसमें लेख्यकारी मय वारिसान का कोई आपती नहीं है।

यह कि निबंधन होने के पश्चात् उपयुक्त जमीन पर सिमांकन कराने में एवं अंचल गाण्डेय द्वारा मालगुजारी रसीद प्राप्त करने में लेख्यकारीगण एवं उनके सहियोगी जितेन्द्र कुमार लेख्यधारी के पक्ष में पूर्ण रूपेन सहियोग करेंगे।

यह सब एकरार करके वो अपने अपने राजी खुशी साथ होश हवास के वो व्याना रूपया पाकर लेख्यकारी ने साथ लेख्यधारीगण के एग्रीमेंट व्यानानामा लिख दिया जो कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

नोट – लेख्यकारीगण एकरार करते है कि यदि वन प्रमंडल द्वारा आनापत्ती प्रमाण पत्र/उपयोगतत् प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो यह एग्रीमेंट रद्ध माना जायेगा। एवं दिया गया ब्याना का रूपया लेख्यधारी को स्वतः वापस कर देगें।

Arunkumar

टंकक प्रारूपकर्त्ता